

परिशिष्ट: 1

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (अनु-3) विभाग

क्रमांक प. 8(10)प्र.सु./अनु3/2011

दिनांक: 23-7-2015

आदेश

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों द्वारा शंकरस्पद / फर्जी एवं अनाधिकृत रूप से जाति प्रमाण पत्र प्राप्त कर सरकारी नौकरियों, शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश तथा राजनैतिक चुनाव एवं अन्य अग्रसरक सुविधाओं का लाभ से रहें है, जिससे वास्तविक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन्मजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति वंचित रह जाते हैं। इस संदर्भ में यानीनय सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में छानबीन समिति गठन करने का निर्णय दिये है। अतः ऐसे शंकरस्पद/फर्जी प्रमाण पत्रों को जारी होने तथा दुरुपयोग करने के प्रकरणों को रोकने के लिये निम्नानुसार जिला स्तरीय छानबीन समिति का गठन किया जाता है:-

■ जिला स्तरीय

- | | |
|--|---------|
| 1. जिला कलक्टर | अध्यक्ष |
| 2. अतिरिक्त जिला कलक्टर (राजस्व) | समन्वयक |
| 3. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पदेन प्रभारी अधिकारी (माडा), जिला धरौध | सदस्य |
| 4. स्थिति उप जिला मजिस्ट्रेट / उपलण्ड अधिकारी | सदस्य |
| 5. जिला अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अशिक्षारिता विभाग | सदस्य |

जिला स्तरीय छानबीन समिति के कार्य एवं शक्तियां

1. समिति की बैठक प्रतिमाह आवश्यक रूप से की जाएगी तथा समिति में जो भी मामले प्राप्त होंगे उन सब मामलों का एक रजिस्टर में नियमित रूप से संभारण किया जायेगा। तथा समिति की बैठक आयोजित करने के लिये अतिरिक्त जिला कलक्टर राजस्व (समन्वयक) प्रभारी अधिकारी होंगे।
2. समिति में झूठे, फर्जी एवं शंकरस्पद जाति प्रमाण-पत्रों के मामलों दर्ज किये जा सकेंगे तथा समिति जारी किये गये जाति प्रमाण-पत्रों की अपने स्तर पर परीक्षण करेगी तथा परीक्षण उपरान्त सत्यता का निष्कर्ष सहित अपना निर्णय लिखा जाकर जाति प्रमाण-पत्र की वैधता/अवैधता के संघ में समुचित आदेश दो माह में जारी करेगी। तथा उक्त निर्णय की सूचना पंजीकृत डाक द्वारा अविलम्ब संघीत पक्षों को दी जायेगी। न्यायसिग की स्थिति में उसके माता-पिता / संरक्षक को सूचना प्रेषित की जायेगी। यदि उक्त अवधि में निर्णय नहीं किया जा सकता है तो उसके कारणों का अंशन किया जाना आवश्यक होगा।

3. जाति प्रमाण पत्रों की संख्या का परीक्षण करने के समय उचित प्रमाणों तथा आवश्यकताओं को जिसका जाति प्रमाण-पत्र है उसको अपना पास रखने हेतु समुचित अक्षर प्रदान करने हेतु नोटिस जारी किये जा सकेंगे।
4. जाति प्रमाण पत्र के संदर्भ में दिशानिर्देशों एवं बत पत्र जिसके विरुद्ध शिकायत की गई है जिला स्तरीय समिति के निर्णय से अर्थात् होने पर वह राज्य स्तर जलनीय समिति में जिला समिति के निर्णय दिनांक से 30 दिवस में अपील की जा सकेगी। राज्य स्तरीय जलनीय समिति का गठन राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प 0(10) प्रोसु0कि/अनु-3/2011 जयपुर दिनांक 18.03.11 द्वारा किया गया है।
5. संकरस्पद प्रमाण पत्रों की छानबीन करना, सुनवाई करना, प्रमाण पत्र रद्द करने की कार्यवाही करना।
6. गैरकानूनी प्रमाणपत्र धारण करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करना।
7. गैरकानूनी प्रमाणपत्र धारण करने के कारण जिसे सजा हुई हो उस उम्मीदवार को चुनाव में उम्मीदवारी दर्ज करने से गैरलायफ (unfit) घोषित करना।
8. गलत प्रमाण पत्र के मापनों में नियोक्ता/ शैक्षिक संस्थाओं के संस्था प्रधान को इसके बारे में जानकारी देकर संबंधित व्यक्ति को वर्तमान पर से बर्खास्त करने के आदेश करना।

(रमेश चंद्र भारद्वाज)
शासन उप सचिव

दिनांक

क्रमांक
प्रतिलिपि निम्न को सूचना हेतु प्रेषित है:-

- 1) अतिरिक्त मुख्य सचिव, महामंत्री राजस्थान महोदय, राजस्थान सरकार जयपुर
- 2) प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार जयपुर
- 3) निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर
- 4) अध्यक्ष राज्य मण्डल राजस्थान जयपुर
- 5) निजी सचिव, सार्वजनिक सेवा/ राज्य मंत्रालय राजस्थान सरकार जयपुर
- 6) सपरस प्रमुख सचिव/ शासन सचिव शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर
- 7) सार्वजनिक सेवा, राजस्थान सरकार, जयपुर
- 8) सचिव, राजस्थान विधानसभा, शासन सचिवालय, जयपुर
- 9) सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान जयपुर
- 10) सचिव, समाधिगत न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
- 11) सचिव, जनजाति कर्षण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 12) सार्वजनिक सेवा आयोग
- 13) राजस्थान विद्या कलेक्टर
- 14) सार्वजनिक सेवा पुनिक अभिचार
- 15) सचिव सार्वजनिक सेवा/ सेवा
- 16) सचिव निदेशक/ सहायक निदेशक/ जिला परीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

शासन उप सचिव